

छत्तीसगढ़ विधान सभा

(पंचम)



खण्ड - 9

दिसम्बर, 2021 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(दिनांक 7 मार्च, 2022 को सदन में प्रस्तुत)

(एक)


प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय-7 के नियम-51 के अनुसार इस संकलन में दिसम्बर, 2021 सत्र हेतु नियत बैठकों की प्रश्नोत्तर सूचियों में मुद्रित अपूर्ण उत्तरों का संबंधित विभागों द्वारा प्रेषित पूर्ण उत्तरों का संकलन सम्मिलित किया गया है। साथ ही यथासमय प्राप्त पृथक वितरित एवं पुनरीक्षित उत्तरों को भी मुद्रित कराया गया है।

शासन द्वारा पूर्व में दी गयी जानकारी बड़े कोष्टक [.....] के अंदर मुद्रित है। इस संकलन में सामान्य प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा, कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, महिला एवं बाल विकास तथा सहकारिता विभाग के प्रश्न एवं यथासमय विभागों से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची के शुद्धि पत्रों की सूची सम्मिलित किये गये हैं।

रायपुर,
दिनांक : 02 मार्च, 2022


चन्द्र शीखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.



(दो)

विषय सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)	पृ.क्र. (3)
1.	दिसम्बर, 2021 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर	1-5
2.	दिसम्बर, 2021 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट	6-30
3.	दिसम्बर, 2021 सत्र में प्राप्त प्रश्नों के उत्तर में संशोधन तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची	31-49



छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2021 सत्र से संबंधित प्रश्नोत्तर

खण्ड - 9

ग्राम पंचायतों में प्राप्त मूलभूत की राशि का उपयोग करने के जारी निर्देश

1. (क्र. 55) श्री अजय चन्द्राकर : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (30 अक्टूबर, 2021 तक) में राज्य सकल राजस्व की कितनी प्रतिशत राशि वित्त आयोग की अनुशंसा अनुरूप ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए था ? और उक्त वर्षों में प्रदेश के ग्राम पंचायतों को कितनी राशि जारी की गयी ? क्या इस अनुदान की राशि में कटौती की गयी है ? यदि हां, तो क्या कारण है और कितनी राशि किन-किन वर्षों में कटौती की गयी ? (ख) मूलभूत कार्यों की राशि का उपयोग किन-किन कार्यों के लिये व्यय करने का निर्देश है ? और व्यय करने के लिए कौन सक्षम होता है ? क्या ग्राम पंचायत अंतर्गत बिजली बिल भुगतान किये जाने का निर्देश है ? यदि हां, तो कब से है ? (ग) प्रदेश के ग्राम पंचायतों का कितना बिजली बिल, कब से बकाया है ? क्या उक्त के भुगतान के लिये सरकार अलग से अनुदान की व्यवस्था करेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 (30 अक्टूबर, 2021 तक) में राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पैरा 17.19 अनुसार राज्य सकल राजस्व की 6.91 प्रतिशत राशि पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाना चाहिए. अनुशंसा के अनुरूप पैरा 17.23 अनुसार उक्त राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए. माननीय सदस्य महोदय द्वारा पूछे गये विषय के अनुरूप उक्त वर्षों में प्रदेश के ग्राम पंचायतों को मूलभूत अनुदान में राशि रुपये 56760.00 लाख जारी की गयी. मूलभूत अनुदान की राशि में से ग्राम पंचायतों के विद्युत देयकों हेतु केवल वर्ष 2020-21 में प्रावधानित राशि रुपये 4500.00 लाख में से राशि रुपये 1350.00 लाख की कटौती कोविड-19 के कारण की गयी है. † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार. (ख) व्यय करने के निर्देश † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार. व्यय करने हेतु ग्राम सभा के अनुमोदन से ग्राम पंचायत सक्षम है. जी हाँ. वर्ष 2015-16 से. (ग) प्रदेश के ग्राम पंचायतों का बिजली बिल राशि रुपये 475.79 करोड़ वर्ष 2013-14 से सितम्बर 2021 तक की अवधि का बकाया है, जिसके संबंध में भुगतान हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

छ.ग. शासन में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

2. (क्र. 236) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 17-11-2021 तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू/एसीबी को शिकायतें प्राप्त हुई है तथा कितनी शिकायतों पर प्रकरण पंजीकृत हुए हैं कितनी शिकायतें नस्तीबद्ध की गई है और कितनी शिकायतें लंबित है? वर्षवार, विभागवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध किन कारणों से प्रकरण पंजीकृत किये गये है व कितने के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये गये हैं व कितने के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया जाना शेष है? विभागवार व वर्षवार जानकारी दें.

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : (क) 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 17-11-2021 तक ईओडब्ल्यू/एसीबी में अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध शिकायतों की वर्षवार एवं विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. (ख) प्रश्नांश "क" के अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध जिन कारणों से प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं, उनकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है तथा जिनके विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये गये है एवं चालान प्रस्तुत किया जाना शेष है, की वर्षवार एवं विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार है.

[पुनरीक्षित उत्तर]

जल जीवन मिशन (हर घर नल से शुद्ध जल)

3. (क्र. 310) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत 2019 से 20 नवम्बर 2021 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से कितनी कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा कब-कब कितनी-कितनी राशि खर्च गई है? राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ, कब-कब, किस किस मद में किया गया? इससे राज्य शासन को कितना अंशदान की आवश्यकता है व राज्य सरकार ने कितना अंशदान किया है? वर्षवार बतावे? (ख) कंडिका 'क' की प्रश्नावधि में जल जीवन के लिए किन किन जिलों के लिए कब-कब कितनी - कितनी राशि की निविदाएं से आमंत्रित की गई? इन निविदाओं में कितनी कितनी फर्म/संस्थाओं ने भाग लिया? नाम एवं पता सहित जानकारी देवे? (ग) कंडिका 'ख' अनुसार किन-किन फर्मों की निविदा कितनी राशि की कितने गांवों के लिए स्वीकृत हुई? कार्य कब तक पूरा होना था? अभी कितने प्रतिशत कार्य संपादित हुआ है? जिलेवार जानकारी देवे? (घ) इस योजना के अनुसार कितनी समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाना है? कितने घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराना है व कितने घरों में कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है? वर्तमान में क्या स्थिति है?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रूद्र कुमार) : [(क) से (घ) की जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जल जीवन मिशन अंतर्गत 2019 से 20 नवम्बर, 2021 तक केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त राशि की जानकारी एवं राज्य शासन को कितने अंशदान की आवश्यकता है व राज्य सरकार ने कितना अंशदान किया गया, की वर्षवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार है. खर्च की गई राशि का उपयोग कहाँ-कहाँ, कब-कब, किस मद में किया गया, की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब" अनुसार है. (ख) कंडिका "क" की प्रश्नावधि में जल जीवन मिशन के लिए जिलों के लिए कब-कब कितनी-कितनी राशि की निविदाएं से आमंत्रित की गई इन निविदाओं में कितनी-कितनी राशि फर्म/संस्थाओं ने भाग लिया नाम एवं पता सहित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स-1, स-2, स-3" अनुसार है. (ग) कंडिका "ख" अनुसार किन-किन फर्मों की निविदा कितनी राशि की कितने गांवों के लिए स्वीकृत हुई कार्य कब तक पूरा होना था अभी कितने प्रतिशत कार्य संपादित हुआ है जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार है. (घ) इस योजना के अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की समय-सीमा सितम्बर 2023 है. कुल 48,59,443 ग्रामीण परिवारों को कनेक्शन उपलब्ध कराया जाना है. 20 नवम्बर 2021 तक कुल 2,79,945 घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है. वर्तमान में कार्य प्रगतिरत है.

पीपीई कीट कवर क्रय हेतु जारी आदेश

4. (क्र. 347) श्री बृजमोहन अग्रवाल : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निविदा क्रमांक 67832 में पीपीई कीट कवर आल श्री लेबल फेब्रिक के लिये एल-1 फर्म को क्या क्रय आदेश जारी किये गये थे ? यदि नहीं तो क्यों ? (ख) कंडिका "क" के संबंध में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो कब और प्राप्त शिकायत पर क्या कोई जांच की गई थी ? यदि हां तो कब ? (ग) जांच अधिकारी द्वारा क्या प्रतिवेदन जमा किया गया है ? यदि हां तो कब ? दोषी फर्म के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है] (क) और (ख) निविदा क्रमांक 67832 में पी.पी.ई. कीट कवर आल श्री लेबल फेब्रिक के लिए एल-1 फर्म को क्रय आदेश जारी नहीं किया गया. दिनांक 30-09-2020 के समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के बिन्दुओं पर जांच प्रक्रियाधीन है. (ग) जांच हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) से पत्राचार हुआ है. अभी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ.

पी.एम.जी.एस.वाय./एम.एम.जी.एस.वाय. में अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण संबंधी

5. (क्र. 411) श्री रजनीश कुमार सिंह : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अप्रैल 2020 से अक्टूबर 2021 की अवधि में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में पी.एम.जी.एस.वाय. और एम.एम.जी.एस.वाय. के कितने तकनीकी अधिकारी-कर्मचारी का स्थानांतरण/पद स्थापना आदेश जारी किया गया है ? नाम, पदवार जानकारी दें. (ख) क्या जारी आदेशों में विभागीय मंत्री और अतिरिक्त मुख्य सचिव से अनुमोदन प्राप्त किया गया है ? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं और दोषी कौन है ?

मान. पंचायत मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) : [(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जानकारी + संलग्न प्रपत्र "अ" प्रपत्र "ब" में दर्शित है. (ख) जी हाँ. प्रपत्र "अ" का. प्रपत्र "ब" पर सरल क्रमांक-1 से 4 तक विभागीय मंत्रीजी से अनुमोदन लिया गया है. कारण प्रपत्र "ब" कॉलम नंबर 7 पर अंकित है. दोषी के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है।

इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ में छात्रावास एवं कम्प्यूटर सेंटर का निर्माण

6. (क्र. 557) श्री धरमलाल कौशिक : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में बालक-बालिका छात्रावास एवं कम्प्यूटर सेंटर का निर्माण लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराया गया है? यदि हां, तो किस फर्म के द्वारा कब निर्माण कार्य किया गया है व अद्यतन स्थिति क्या है? (ख) क्या उक्त कार्य डिपॉजिट कार्य के रूप में कराया गया है? यदि हां, तो मूल विभाग से पीडब्ल्यूडी को कब-कब कितनी राशि प्राप्त होनी थी व कितनी राशि प्राप्त हुई? यदि कम राशि प्राप्त हुई तो क्यों तथा बिना राशि के कार्य विभाग द्वारा किस आधार पर किया गया है? संबंधित ठेकेदार को कितनी राशि का भुगतान किया जाना था? कितना शेष है, कितने का भुगतान किया गया है? क्या निर्माण के संबंध में विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई थी? यदि हां, तो किसके द्वारा क्या-क्या शिकायत की गई ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) : [(क) जी हां विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उक्त कार्य आकर कंस्ट्रक्शन, इंजीनियर्स एंड कांटेक्टर्स, रायपुर द्वारा फरवरी 2019 से किया गया. उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण है. (ख) जी हां, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राप्त राशि जिसमें अधोसंरचना मद भी सम्मिलित है, में प्रश्नाधीन निर्माण कार्य की टेंडर राशि रु. 551.01 लाख सहित लोक निर्माण विभाग को दिनांक 30-03-2016 को 500.00 लाख, दिनांक 06-02-2020 को 500.00 लाख एवं दिनांक 13-07-2020 को 200.00 लाख दी गई. शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है.] (क) जी हां विश्वविद्यालय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार उक्त कार्य आकर कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स एंड कांटेक्टर्स, रायपुर द्वारा फरवरी, 2019 से किया गया. उक्त निर्माण कार्य अपूर्ण है. (ख) इसके उपरांत लोक निर्माण विभाग को दिनांक 21-01-2022 को रु. 65.00 लाख कुल राशि रु. 1265.00 लाख दिया जा चुका है. लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त कार्य हेतु ठेकेदार को 606.00 लाख का भुगतान किया जाना था. जिसमें से राशि रु. 578.72 लाख का भुगतान किया जा चुका है एवं 27.27 लाख का भुगतान किया जाना शेष है. जी हां, विभागीय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की गई थी. निर्माण एजेंसी द्वारा मापांकन एवं बिल भुगतान के संबंध में तथा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा निर्माण कार्य की गुणवत्ता के संबंध में शिकायत की गई थी.

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध अपराध

7. (क्र. 571) डॉ कृष्णमूर्ति बांधी : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के किन-किन, अधिकारियों के विरुद्ध किन-किन धाराओं में, कब से अपराध पंजीबद्ध हैं व किन कारणों से हैं ? (ख) प्रश्नांक 'क' अनुसार, इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : [(क) एवं (ख) जानकारी एकत्रित कि जा रही है]

- (क) } प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.
(ख) }

[पृथक वितरित उत्तर]

खाद बीज प्रदायकर्ता फर्म/कम्पनी

8. (क्र. 653) श्री धरमलाल कौशिक (श्री डमरूधर पुजारी) : क्या कृषि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कृषि विभाग द्वारा 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 23-11-2021 तक किन-किन खाद, बीज, उर्वरक व अन्य सामग्री प्रदायकर्ता, कम्पनी/फर्मों को ब्लैक लिस्टेड/डीवार/प्रतिबंधित किन-किन कारणों से कब व किसके आदेश से किया गया था ? (ख) प्रश्नांश 'क' अनुसार कम्पनियों में किन-किन कम्पनियों को कब-कब किसके आदेश से व किस आधार पर ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंध से हटाया गया. इस हेतु शासन से कब-कब अनुमोदन प्राप्त किया गया ? ब्लैक लिस्ट/प्रतिबंधित अवधि में व उसके पश्चात् इन कम्पनियों को किस-किस सामग्री हेतु कितनी-कितनी राशि का क्रय आदेश दिया गया व कितना भुगतान किया गया व कितना भुगतान किया जाना शेष है ? (ग) प्रश्नांश 'क' अवधि में हाईब्रिड धान/मक्का बीज के डीएनए/नमूनों का परीक्षण किस प्रयोगशाला में कब-कब कराया गया व क्या रिपोर्ट आयी ? फर्मवार, दिनांकवार, रिपोर्टवार जानकारी देवे ? क्या यह प्रयोगशाला शासन द्वारा निर्धारित प्रयोगशाला है ? यदि नहीं तो उनको उक्त अवधि में कितना भुगतान किस आधार पर किसके द्वारा किन-किन फर्मों को किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है] (क) प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय कृषि द्वारा उर्वरक/बीज प्रदायकर्ता किसी भी कंपनी/फर्म को ब्लैक लिस्टेड/डीवार/प्रतिबंधित नहीं किया गया है. अपितु छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा विभिन्न कारणों से खाद, बीज एवं उर्वरक सामग्री प्रदायकर्ता कंपनी/फर्मों को डीवार किया गया है. तिथिवार, कंपनीवार/फर्मवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट -1 पर है. (ख) छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड स्वायत्त संस्था है. इसके व्यापारिक कार्यों पर शासन का सीधा नियंत्रण नहीं है. अतः शासन स्तर से व्यापारिक कार्य हेतु अनुमोदन प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं. प्रश्नांश 'क' की अवधि में छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. द्वारा डीवार किये गये किसी भी कम्पनी से प्रतिबंध हटाया नहीं गया है। ब्लैकलिस्ट/डीवार/प्रतिबंधित अवधि व उसके पश्चात् इन कम्पनियों को सामग्री हेतु दिए गए क्रय आदेश एवं भुगतान का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 पर है. (ग) बीज अधिनियम 1966, बीज नियम 1968 तथा बीज (नियंत्रण) आदेश, 1983 के प्रावधानों में मात्र प्रमाणित बीजों के अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता आदि के परीक्षण हेतु नमूने लेने एवं अधिकृत प्रयोगशालाओं में भेजने की प्रक्रिया का उल्लेख है. जिसके प्रावधानों के अनुरूप ही विभागीय बीज निरीक्षकों द्वारा प्रमाणित बीजों के नमूने लेकर नियमानुसार राज्य शासन द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं में भेजे जाते हैं. बीज अधिनियमों/नियमों/आदेशों में हाईब्रिड बीजों के नमूने लेने अथवा इनका परीक्षण कराने संबंधी प्रक्रिया/नियम का उल्लेख नहीं है. अतः हाईब्रिड बीजों के नमूने लेकर परीक्षण हेतु नहीं भेजे जाते. विभागीय योजनाओं में वितरित हाईब्रिड बीजों के गुणवत्ता का परीक्षण करने की दृष्टिमात्र से हाईब्रिड बीजों के नमूने लेकर इनका परीक्षण शासकीय कृषि विश्वविद्यालयों की प्रयोगशालाओं में कराया गया है. बीज से संबंधित अधिनियम/नियम/आदेश के बीजों के डी.एन.ए. परीक्षण के संबंध में मौन होने के कारण उक्त प्रयोगशालाओं को नमूना परीक्षण हेतु भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है, अपितु संबंधित कंपनी/प्रदायक संस्था द्वारा किया गया है. इसके अतिरिक्त विभागीय बीज निरीक्षकों द्वारा हाईब्रिड धान एवं हाईब्रिड मक्का बीज के नमूने अंकुरण क्षमता, भौतिक शुद्धता आदि के परीक्षण हेतु भी "छ.ग. राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था" के अधीन संचालित बीज परीक्षण प्रयोगशाला को भेजे गए जो शासन द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला है. प्रश्नांकित अवधि में धान/मक्का हाईब्रिड किस्मों के बीजों के डी.एन.ए. परीक्षण एवं सामान्य परीक्षण संबंधी वर्षवार, जिलावार, फर्मवार, दिनांकवार जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3 व 4 पर है.

प्रदेश में आंगनबाड़ियों में बच्चों की मृत्यु

9. (क्र. 656) श्री विद्यारतन भसीन : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 01 जनवरी 2020 से दिनांक 23-11-2021 तक प्रदेश में आंगनबाड़ियों में पंजीकृत कितने बच्चों की मृत्यु हुई है ? वर्षवार, जिलेवार जानकारी देवें.

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेड़िया) : [जानकारी संकलित की जा रही है] प्रश्नांश अवधि में आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों में से 13835 बच्चों की मृत्यु प्रतिवेदित हुई है. जिलेवार वर्षवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

[पृथक वितरित उत्तर]

प्रदेश के सहकारी समितियों को कमीशन राशि का भुगतान

10. (क्र. 694) श्री शिवरतन शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां (प्राथमिक सहकारी समिति) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ता सामग्री (राशन आदि) वितरण का कार्य करती है ? (ख) इन समितियों को धान उपार्जन व उपभोक्ता सामग्री वितरण पर शासन द्वारा किस-किस दर पर कमीशन (सेवा शुल्क) प्रदान किया जाता है ? (ग) क्या इन समितियों को 2019-20 व 2020-21 में धान उपार्जन का कमीशन व उक्त अवधि का उपभोक्ता सामग्री प्रदान करने का कमीशन दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब-कब कितना-कितना भुगतान किया गया है ? (घ) यदि नहीं तो लंबित होने के क्या कारण है ? तथा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : [(क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है] (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21 में कुल 2009 सहकारी समितियों (प्राथमिक सहकारी समिति) द्वारा धान उपार्जन तथा 1260 सहकारी समितियों (प्राथमिक सहकारी समिति) द्वारा शासन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपभोक्ता सामग्री (राशन आदि) वितरण का कार्य किया जा रहा है. (ख) इन समितियों को धान उपार्जन पर धान कॉमन/सरना हेतु राशि रु. 31.25 प्रति क्विं. एवं धान ग्रेड-ए हेतु राशि रु. 32.00 प्रति क्विं. की दर से कमीशन राशि का भुगतान किया जाता है तथा उपभोक्ता सामग्री वितरण पर देय कमीशन की जानकारी †† संलग्न प्रपत्र - 'अ' अनुसार है. (ग) इन समितियों को 2019-20 एवं 2020-21 में धान उपार्जन के कमीशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. जिसकी जिलेवार जानकारी क्रमशः †† संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार है. निःशुल्क राशन सामग्रियों को छोड़कर अन्य सामग्रियों को वितरित करते समय उपभोक्ताओं से कमीशन की राशि समितियों को प्राप्त हो जाती है. समितियों को वर्ष 2019-20 में राशि रूपये 52.15 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में राशि रूपये 22.67 करोड़ कमीशन प्राप्त हुआ है. अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक वितरित निःशुल्क राशन सामग्री पर देय कमीशन की राशि रु. 48.94 करोड़ का भुगतान नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा दो किश्तों में क्रमशः माह जुलाई 2021 एवं नवंबर 2021 में संबंधित समितियों को किया गया है. (घ) खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में धान उपार्जन कमीशन की राशि भुगतान हेतु लंबित नहीं है. वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में शासन की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निःशुल्क वितरित किये जाने वाली उपभोक्ता सामग्री के लंबित देय कमीशन राशि का भुगतान उपभोक्ता सामग्रियों की मात्रा का मिलान पूर्ण होने पर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जायेगा.

दिसम्बर, 2021 सत्र के प्रश्नोत्तरों से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[प्रश्न संख्या 01 (क्र.-55) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र-"अ"

(राशि रुपये लाख में)

क्र.	वर्ष	ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यों हेतु अनुदान		नल जल प्रदाय योजना एवं स्ट्रीट लाईट अन्तर्गत विद्युत देयकों के भुगतान	
		ग्राम पंचायतों को जारी राशि	कटौती की गई राशि	अधिक्षण अभियन्ता, (विद्युत/सुरक्षा) मुख्य विद्युत निरीक्षक को जारी की गई राशि	कटौती की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1	2018-19	7260.00	0.00	1220.38	0.00
2	2019-20	16500.00	0.00	4500.00	0.00
3	2020-21	16500.00	0.00	3150.00	1350.00
4	2021-22	16500.00	0.00	0.00	0.00
कुल -		56760.00	0.00	8870.38	1350.00

प्रपत्र-“ब”

मूलभूत योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि के समुचित उपयोग निम्नलिखित कार्यों/आईटमों पर ग्राम सभा के अनुमोदन से किये जाने निर्देश है :-

1. नल जल योजना/स्पाट सोर्स/हैण्ड पंपों के सुधार व्यवस्था पर व्यय।
2. गाँव गंगा योजना के अन्तर्गत खोदे गये ट्यूब वेल में पंपों की स्थापना।
3. ग्राम में स्थापित हैण्ड पंप के निकट नाली/हौदी का निर्माण।
4. जरूरत मंद व्यक्तियों के लिये उचित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था। इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक ग्राम में एक किंवटल चावल सदैव उपलब्ध रहें।
5. ग्रामीण सचिवालय/ ग्राम पंचायत के संचालन के लिए लेखन सामग्री आदि पर व्यय हेतु अधिकतम रुपये पाँच हजार प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।
6. स्वामी आत्मानंद वाचनालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था के साथ-साथ दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ के क्रय पर अधिकतम रुपये सात हजार प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।
7. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के मजरे टोले में सड़क बत्ती कनेक्शन का विस्तार।
8. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक /एफ/10-43/2003 /1/5, दिनांक 06 जनवरी 2004 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भवन/कार्यालय में राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर लगाने पर व्यय किया जा सकेगा।
9. ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति के अन्तर्गत समस्त भवन जो पंचायत के आधिपत्य में हैं, की मरम्मत/ रखरखाव एवं वार्षिक रंगरोगन पर व्यय किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसी सम्पत्ति के रखरखाव /मरम्मत/ रंगरोगन हेतु किसी अन्य स्रोतों से राशि प्राप्त न हुई हो।
10. ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत शासकीय/सार्वजनिक भवनों में निःशक्तजनों के लिये रेम्प निर्माण/मरम्मत।
11. महामारी/प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के अन्तर्गत अधिकतम व्यय राशि रुपये 5000/- व्यय किया जा सकेगा बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हो।
12. ऐसे अधूरे अधोसंरचना निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय जो पूर्व सरपंच/सचिव के बकायादार रहने पर पूर्ण न हो सके हों बशर्ते कि बकायादार से राशि वसूल की जाकर पंचायत में जमा की गयी हो।
13. नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम के आयोजनपरग्राम पंचायत अधिकतम राशि रुपये 500/- तक व्यय कर सकेगी बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हो।

14. कुपोषण मुक्ति संबंधी कार्यक्रम के आयोजन परग्राम पंचायत अधिकतम राशि रुपये 1000/- व्यय कर सकेगी बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्रदान हो।
15. कूड़ादान निर्माण/सार्वजनिक कुंओं की साफ-सफाई/ सुलभ शौचालय, स्कूल, आंगनवाड़ी, छात्रावास, ग्राम पंचायत भवनों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत/संधारण पर व्यय के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के द्वारा ऐसे कार्य जो तात्कालिक आवश्यकता के हैं यथा सड़क में मुरुम भराई गड्ढों की भराई तालाबों की साफ-सफाई इत्यादि पर एक बार में राशि रुपये 25000/- (रुपये पच्चीस हजार) तथा एक वर्ष में रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार) अधिकतम व्यय ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अनुमोदन से कर सकेगी।
16. राष्ट्रीय पर्व में मिष्ठान वितरण पर व्यय (प्रति व्यक्ति रुपये 10 से अधिक व्यय न हो)।
17. विभिन्न प्रकार के मानदेय जैसे कार्यों पर व्यय (विशेष ग्राम सभा के अनुमोदन से)।
18. प्रति ग्रामसभा आयोजन हेतु रुपये 2000/- तक का व्यय किया जा सकेगा। इस व्यय के अंतर्गत ग्राम सभा के प्रचार-प्रसार (पाम्पलेट/माईक) टेन्ट (कुर्सी/दरी/कनात इत्यादि), स्वल्पाहार आदि होंगे।
19. ई-पंचायत से संबंधित प्रासंगिक व्यय।
20. ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु दीवाल लेखन कार्य, जिसमें राशि प्राप्त नहीं होती है।
21. कांजी हॉऊस संचालन व्यवस्था पर व्यय।
22. पशु चिकित्सा शिविर आयोजन पर व्यय बशर्ते पशु चिकित्सा विभाग से राशि प्राप्त न हो।
23. आकरिमक परिस्थिति में मार्ग संधारण/रख-रखाव पर व्यय।
24. सड़क बत्ती में एल.ई.डी.ट्यूब लाईट/बल्ब/विद्युत इंस्ट्रूमेंट लगाने पर व्यय।
25. विभिन्न स्तर के निर्वाचन पर प्रासंगिक व्यय।
26. संकुल स्तरीय खेलकूद, ब्लाक स्तरीय खेलकूद पर व्ययबशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
27. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत बालक/ बालिकाओं को पानी पिलाने हेतु घड़ा, ड्रम, बाल्टी, मग्गा, आदि पर व्यय।
28. जिन ग्राम पंचायतों में 3जी / 2जी डोंगल के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी वहाँ डोंगल का क्रय एवं उसके मासिक रिचार्ज पर व्ययकिया जा सकेगा।
29. ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित स्कूल में अनुपयोगी शौचालयों के संधारण/मरम्मत पर व्यय बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हुई हो।

30. ग्राम पंचायत केवल एक बार रूपये 500/—(पांच सौ रूपये) तक का ट्रांजिस्टर/रेडियो क्रय कर सकेगी।
31. ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत वर्ष में अधिकतम रूपये 10000/— (दस हजार रूपये) वर्षाकाल के पश्चात मुरुमीकरण पर व्यय ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अनुमोदन से कर सकेगी।

परिशिष्ट "दो"

[प्रश्न संख्या 05 (क्र.-411) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र-"अ"

पी.एम.जी.एस.वाय./एम.एम.जी.एस.वाय. में अधिकारी कर्मचारी का स्थानान्तरण संबंधी जानकारी

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
सहायक अभियंता (अप्रैल 2020 से दिसम्बर 2020 तक)			
1	श्री व्ही.के. पशीने	परि. किया. इकाई कमांक-2, केशकाल	2200/224 VIP/22-1/2018 दिनांक 31.07.2020
2	श्री विकास कौशिक	परि. किया. इकाई, मुंगेली	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
3	श्री वैभव देवागंन	परि. किया. इकाई कमांक-2, केशकाल	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
4	श्री अभिषेक पाटकर	परि. किया. इकाई, कमांक-1, गरियाबंद	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
5	सुश्री निशा देवागंन	परि. किया. इकाई, राजनांदगांव	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
6	सुश्री अल्का साहू	परि. किया. इकाई, बेमेतरा	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
7	श्री सच्चिदानंद	परि. किया. इकाई, कवर्धा	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
8	श्री सानुज कुमार धृतलहरे	परि. किया. इकाई, सूरजपुर	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
9	श्री पदमसंभव मिश्रा	परि. किया. इकाई, महासमुंद	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
10	श्री एश्वर्य वर्मा	परि. किया. इकाई, जांजगीर-चांपा	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
11	सुश्री अनुराधा पैकरा	परि. किया. इकाई, कोरिया	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
12	श्री रूपेन्द्र कुमार भूआर्य	परि. किया. इकाई, कमांक-2, केशकाल	2053/आर-1080/2020/22-1 दिनांक 17.07.2020
13	श्री आशिष कुलदीप	अनु.अधि., ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग, फिंगेश्वर, जिला गरियाबंद	F-1-71/22-1/2018, Date 31.12.2020
14	श्री सुरेश कुमार बांधे	अनु.अधि., ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग कोटा, जिला बिलासपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
15	श्री अभाष कुमार सिन्हा	अनु.अधि., ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया	F-1-71/22-1/2018, Date 31.12.2020
16	श्री विजय कुमार मांडवे	अनु.अधि., ग्रा.यां.सेवा उपसंभाग, उरसूर, जिला बीजापुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
17	श्री मिलापराम साहू	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगगासविअ, बलौदाबाजार	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक
18	श्री देवनाथ चंद्रवंशी	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र. 2, छगग्रासविअ, बीजापुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
19	श्री सोमकान्त	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-1, छगग्रासविअ, बीजापुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
20	श्री बलदाउ प्रसाद मिश्रा	सहा.अभि., ग्रा.वि.सं., छगग्रासविअ, जांजगीर--चापा	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
21	श्री गोपाल कृष्ण चंद्राकर	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, महासमुन्द	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
22	श्री सतोष कुमार गुप्ता	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, नारायणपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
23	श्री विजय कुमार माहेश्वरी	सहा.अभि., ग्रा.वि.सं. छगग्रासविअ, बेमेतरा	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
24	श्री दीनबन्धु देवांगन	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कबीरघाम	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
25	श्री आशुतोष शर्मा	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, भानुप्रतापपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
26	श्री हरजीत सिंह	आर.आर.एन.एम.यू. दुर्ग	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
27	श्री सतीश कुमार ताम्रकार	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-1, छगग्रासविअ राजनांदगांव	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
28	श्री मदन लाल नाग	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, धमतरी	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
29	श्री ईश्वर दोनोडे	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-1, छगग्रासविअ राजनांदगांव	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
30	श्री गिरधारी बैष्णव	सहा.अभि., छगग्रासविअ, परि.मण्डल, रायपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
31	श्री राजेन्द्र प्रसाद पटेल	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, दुर्ग	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
32	श्री बाबूलाल सिंहश्रे	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, मुंगेली	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
33	श्रीमती ममता तांबे	सहा.अभि., छगग्रासविअ परि.मण्डल, रायपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
34	श्री दीपक कुमार बंसोडे	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, राजनांदगांव	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
35	श्री अजय कुमार भारद्वाज	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, केशकाल	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
36	श्री गणेशराम पवार	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-1, छगग्रासविअ, बालोद	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
37	श्री रामनारायण भारद्वाज	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, दंतेवाडा	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
38	श्री सुरेन्द्र कुमार पटेल	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, बिलासपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
39	श्री अमिताभ कश्यप	सहा.अभि., ग्रा.वि.सं., छगग्रासविअ, बिलासपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक/दिनांक
40	श्री धनंजय देवांगन	सहा.अभि., ग्रा.वि.सं., छगग्रासविअ, जगदलपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
41	श्री झिलन प्रसाद कुरै	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कोरवा	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
42	श्री संतोष सिंह कुवर	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कोरिया	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
43	श्री नरेन्द्र कुमार भगत	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, सूरजपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
44	श्री सुरेश कुमार नागेश	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, जगदलपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
45	श्री जागेश्वर ध्रुव	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
46	श्रीमती देवश्री साहू	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, धमतरी	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
47	श्री अनिल कुमार बरेठ	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, बिलासपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
48	श्री विमल कुमार सिंह	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-1, छगग्रासविअ, अंबिकापुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
49	श्री पंकज राठौर	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, धरमजयगढ़, जिला रायगढ़	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
50	श्री के.व्ही.स्मीतोष	सहा.अभि., छगग्रासविअ, मुख्यालय, रायपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
51	श्री चार्ल्स रोशन एक्का	सहा.अभि. परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, अंबिकापुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
52	श्री विजय सोनी	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ राजनांदगांव	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
53	श्री नीरज ताम्रकार	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, राजपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
54	श्री सुगीत कुमार गुप्ता	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, राजपुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
55	श्री अनांत दीक्षित	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, गुण्डरदेही	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
56	श्री अमित कुमार ताम्रकार	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कोरिया	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
57	श्री राकेश कुमार वर्मा	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-1, छगग्रासविअ, बालोद	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
58	श्री मुकेश कुमार साकरकर	सहा.अभि., परि.क्रि.ई. क्र.-2, छगग्रासविअ, राजनांदगांव	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
59	श्री राजेश प्रसाद सिन्हा	सहा.अभि., छगग्रासविअ, परि.मण्डल क्र.-1, अंबिकापुर	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
60	श्री हरिओम त्रिपाठी	सहा.अभि., ग्रा.वि.सं., छगग्रासविअ, दुर्ग	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020
61	श्री त्रिवेणी कान्त गजेन्द्र	सहा.अभि., परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कबीरधाम	F-171/22-1/2018, Date 31.12.2020

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक/दिनांक
(जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक)			
62	श्री राहुल चन्द्राकर	परि. किया. इकाई, जगदलपुर	3266/आर-1080/2020/22-1/दिनांक 10.08.2021।
63	श्री नवीन कुमार टोंडे	परि. किया. इकाई, कमांक-1, कोण्डागांव	3266/आर-1080/2020/22-1/दिनांक 10.08.2021।
64	श्री डिकेश कुमार कोमा	परि. किया. इकाई, कमांक-1, कोण्डागांव	3266/आर-1080/2020/22-1/दिनांक 10.08.2021।
65	श्री अविनाश मिज	परि. किया. इकाई, कमांक-1, कांकेर	3266/आर-1080/2020/22-1/दिनांक 10.08.2021।
66	श्री रविन्द्र ताती	परि. किया. इकाई, सुकमा	3266/आर-1080/2020/22-1/दिनांक 10.08.2021।
67	श्री लोकेश्वर भंडारी	परि. किया. इकाई, कमांक-1, कांकेर	3266/आर-1080/2020/22-1/दिनांक 10.08.2021।
कार्यपालन अभियंता			
68	श्री विजय कुमार सिंह	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, दुर्ग	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
69	श्री रामकुमार चंद्रा	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, जांजगीर-चांपा	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
70	श्री कगला सिंह यादव	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, बलरामपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
71	देवी प्रसाद राठौर	ग्रामीण विकास संभाग बिलासपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
72	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह	कार्यालय अधीक्षण अभियंता प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बिलासपुर जिला बिलासपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
73	श्री अरुण कुमार वर्मा	ग्रा.यां.सेवा संभाग गरियाबंद	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
74	श्री दीन दयाल जायसवाल	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, बेमेतरा	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
75	श्री अरुण कुमार शर्मा	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कोण्डागांव	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
76	श्री अशोक कुमार सिंह	ग्रा.यां.सेवा संभाग रायगढ़	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
77	श्री अनादि देव दानी	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, महासमुन्द	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
78	श्री राम कुमार सिन्हा	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना राजनांदगांव जिला राजनांदगांव	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
79	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	परि.क्रि.ई.--1 छगग्रासविअ गरियाबंद	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
80	श्री आत्माराम अग्रवाल	छगग्रासविअ, मुख्यालय रायपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक
81	श्री रविन्द्र कुमार गंजीर	परि.क्रि.ई.-2 छगग्रासविअ गरियाबंद जिला गरियाबंद .	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
82	श्री दीपक कुमार मिश्रा	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कवर्धा	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
83	श्री वंदकांत तनखीवाले	मुंगग्रासयो छगग्रासविअ, कवर्धा जिला कवर्धा	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
84	श्री हृदेशनारायण सिंह ठाकुर	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, जशपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
85	श्री समेलाल केवर्त	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, राजपुर 2	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
86	श्री गुरलीधर यादव	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, गौरेला-पेण्ड्रा-गरवाही	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
87	श्री सत्यनारायण देवांगन	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, पत्थलगांव	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
88	श्री सुदेश कुमार लाम्बा	मुख्यमंत्री ग्रामीण राइक एवं विकास योजना प्रकोष्ठ, रायपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
89	श्री सुशील कुमार पटेल	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, दुर्ग	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
90	श्री कौशल कान्त श्रीवास्तव	कार्यालय अभियंता मुख्यालय छगग्रासविअ रायपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
91	श्री नरेन्द्र कुमार देशमुख	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, बलौदाबाजार	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
92	श्री अनिल कुमार राठौर	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, सुकमा	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
93	श्री धनंजय राम देवांगन	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, महासमुंद	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
94	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार कश्यप	परि.क्रि.ई., -1 राजनादगांव	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
95	श्री सुनील कुमार शर्मा	ग्रा.यां.सेवा संभाग, रामानुजगंज, जिला बलरामपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
96	श्री कृष्ण मुरारी चौधरी	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	3438/R-2540/2020/22-1 Date 02.09.2021
97	श्री अजय कुमार कामडे	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, सूरजपुर	3281/R-2540/2020/22-1 Date 19.08.2021
98	श्री देवी प्रसाद राठौर	छगग्रासविअ, मुख्यालय रायपुर	3438/R-2540/2020/22-1 Date 02.09.2021
99	श्री प्रकाशमणी साहू	ग्रा.यां.सेवा संभाग, रायपुर जिला रायपुर	3438/R-2540/2020/22-1 Date 02.09.2021
100	श्री ज्ञानेन्द्र कुमार कश्यप	परि. क्रि. ई. - 1 राजनादगांव छगग्रासविअ, राजनादगांव	3438/R-2540/2020/22-1 Date 02.09.2021
101	श्री कृष्ण मुरारी चौधरी	ग्रामीण विकास संभाग, छगग्रासविअ, बैकुण्ठपुर जिला कोरिया	3438/R-2540/2020/22-1 Date 02.09.2021
102	श्री द्वारिका प्रसाद भुआर्य	परि.क्रियान्वयन इकाई जगदलपुर	3423/ R-375/MIP/2021/22-1 Dated 02-09-2021

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक/दिनांक
सहायक अभियंता			
103	श्री पंकज देवांगन	परि.क्रि.ई.क्र.-2, छगग्रासविअ, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
104	श्री ओगप्रकाश साहू	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, जगदलपुर.	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
105	श्री असित गोलछा	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, रायपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
106	श्री नयन कुमार प्रधान	ग्रामीण विकास संभाग छगग्रासविअ महारासमुंद	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
107	श्री हरिश कुमार साहू	ग्रामीण विकास संभाग छगग्रासविअ महारासमुंद	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
108	श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव	ग्रामीण विकास संभाग छगग्रासविअ अंबिकापुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
109	श्री सतेन्द्र कुमार पाण्डेय	परि. क्रि. ई, क्र. 2 छगग्रासविअ अंबिकापुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
110	कु. सोनाली सिन्हा	परि. क्रि. ई. क्र. 2 छगग्रासविअ अंबिकापुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
111	श्री सागर कुमार शन्दे	ग्रामीण विकास संभाग छगग्रासविअ राजनांदगांव	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
112	श्री चन्द्रकान्त शुक्ला	परि. क्रि. ई. छगग्रासविअ जांजगीर बापा	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
113	श्री कमलेश कुमार चंद्राकर	परि.क्रि.ई. क्र.-1 छगग्रासविअ, गरियाबंद	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
114	श्री बाबूराम दीपक विश्वकर्मा	परि.क्रि.ई. छगग्रासविअ, कोरबा	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
115	श्री प्रदीप कुमार साहू	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, कोरबा	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
116	श्री अमित कुमार बंजारे	ग्रा.यां.सेवा, उपसंभाग मस्तुरी जिला बिलासपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
117	श्री रामनारायण पटेल	परि.क्रि.ई. क्र.-1 छगग्रासविअ, जशपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
118	श्री घनश्याम लाल देवांगन	परि. क्रि. ई. छगग्रासविअ रायगढ़	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
119	श्री गनपत राम साहू	परि.क्रि.ई. क्र. 2 छगग्रासविअ, पथलगांव जिला जशपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
120	श्री अमित कुमार परिहार	परि.क्रि.ई. छगग्रासविअ, गौरैला-पेण्ड्रा-मरवाही	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
121	श्री नितेश कुमार सिन्हा	परि.क्रि.ई. छगग्रासविअ, धमतरी	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
122	श्री विवेक कुमार जाधव	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, सुकमा	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
123	श्री जाकिर हुसैन कुरैशी	छगग्रासविअ मुख्यालय रायपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
124	श्री गनीष कुमार साहू	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, नारायणपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
125	श्री रूपेश कुमार पाल	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, जिला रायपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021

क्र.	अभियंता का नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक
126	श्री आकाश सोनकर	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, जिला बलरामपुर	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
127	श्री पवन कुमार कश्यप	परि.क्रि.ई. क्र.-2 छगग्रासविअ, धरमजयगढ	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
128	श्री आशीष बाजपेयी	परि.क्रि.ई. क्र. -1 छगग्रासविअ, रायगढ	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
129	श्री शशी कान्त वर्मा	परि.क्रि.ई. छगग्रासविअ, बलौदाबाजार	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
130	श्री लीलाधर भूआर्य	ग्रामीण विकास संभाग छगग्रासविअ बेगैतरा,	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021
131	श्री आर.राम मोहन राव	परि.क्रि.ई., छगग्रासविअ, दुर्ग	एफ 1-71/2018/22-1 दिनांक 22.09.2021

छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण अंतर्गत कार्यभार अधिक होने, कार्यों के सतत् परीक्षण, निरीक्षण एवं गुणवत्ता पूर्वक समय-सीमा में कार्य संपादन हेतु प्रशासनिक दृष्टिकोण से रिक्त पदों पर प्रभार एवं कार्य किये जाने हेतु आदेशित किये गये अधिकारी/कर्मचारियों की जानकारी

स. क.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	कार्य आदेश कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक	रिमांक
1	श्री बी.एस. पटेल	कार्यपालन अभियंता	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (मुख्यालय)	परियोजना क्रमांक-2, धमतरी	6	7
2	श्री सतोश साहू	कार्यपालन अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-2, बीजापुर	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बेमेतरा	4098 / 04.05.2020	पद रिक्त, विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
3	श्री पी.के. गुप्ता	कार्यपालन अभियंता	ग्रामीण विकास संभाग, बलौदाबाजार	परि क्रिया. इकाई, जांजगीर-चांपा	5000 / 04.05.2020	पद रिक्त, विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।
4	श्री सोहन चन्द्रा	कार्यपालन अभियंता	परि क्रिया. इकाई क्रमांक-1, अंबिकापुर	परि क्रिया.इकाई, सूरजपुर	5105 / 04.05.2020	श्री गुप्ता को कार्यालयीन आदेश दिनांक 3886 दिनांक 02.05.2020 द्वारा परि क्रिया. इकाई क्रमांक-1, अंबिकापुर कार्य किये जाने हेतु आदेश किया गया था, जिसे निरस्त कर आदेश क्रमांक 5105 दिनांक 04.05.2020 द्वारा परि क्रिया. इकाई, जांजगीर-चांपा कार्य किये जाने हेतु आदेशित किया गया।
					6083 / 01.06.2020	विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है। श्री चन्द्रा को कार्यालयीन आदेश दिनांक 3888 दिनांक 02.05.2020 द्वारा परि क्रिया. इकाई बलरामपुर कार्य किये जाने हेतु आदेश किया गया था, जिसे आदेश क्रमांक 5101 दिनांक 06.05.2020 के द्वारा निरस्त किया गया।
						आदेश क्रमांक 6083 दिनांक 01.06.2020 द्वारा परि क्रिया. इकाई, सूरजपुर का प्रभार सौंपा गया। विभागीय प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त है।

स. क.	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	कार्य आदेश कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक	रिमांक
1	श्री ओ.पी. सिंह	कार्यपालन अभियंता	परि. किया. इकाई, जांजगीर-चापा	परि. किया. इकाई, सूरजपुर	3890 / 02.05.2020	7
5	श्री मनोज रात्रे	कार्यपालन अभियंता	ग्रामीण विकास संभाग, महासमुंद	परि. किया. इकाई, जांजगीर-चापा	5002 / 04.05.2020	
6	श्री एल.पी. चौरे	कार्यपालन अभियंता	परि. किया. इकाई, जगदलपुर	परि. किया. इकाई, जांजगीर-चापा	5006 / 04.05.2020	
7	श्री पी. मोहन राव सोनी	कार्यपालन अभियंता	ग्रामीण विकास संभाग, जगदलपुर	परि. किया. इकाई, जगदलपुर	5004 / 04.05.2020	
8	श्री जी.एन.सिंह तवर	अधीक्षण अभियंता	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण (मुख्यालय)	परियोजना मंडल कर्मांक-1, अंबिकापुर	1854 / 30.01.2021	
9	श्री सुरेश कुमार सोनी	अधीक्षण अभियंता	आर.सी.टी.आर.सी., नवा रायपुर	परियोजना मंडल, रायगढ़	8243 / 27.07.2021	
10	श्री विनय वर्मा	सहायक अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई कर्मांक-2, भानुप्रतापुर	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नारायणपुर	11816 / 10.11.2020	
11	श्री राहुल कश्यप	सहायक अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई कर्मांक-1, कांकर	प्रभारी कार्य. अभि. परियोजना क्रियान्वयन इकाई कर्मांक-1, जशपुर	4707 / 10.05.2021	
12	श्री योगेश आनंद	सहायक अभियंता	ग्रामीण विकास संभाग, बिलासपुर	परि. किया. इकाई, गौ.पे.म.	12632 / 24.11.2021	
13	श्रीमती समाप्ति मुखर्जी	उप अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई कर्मांक-1, रायगढ़	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, दुर्ग	10807 / 05.10.2021	

स. क्र.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद नाम	पदस्थापना कार्यालय का नाम	कार्य आदेश कार्यालय का नाम	आदेश क्रमांक / दिनांक	रिमांक
1	श्री भीमेश्वर राजवाड़े	उप अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-2, गरियाबंद	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कोरबा	10112 / 22.09.2021	7
15	श्रीमती रेणुका साहू	उप अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, धमतरी	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, बेमेतरा	11206 / 18.10.2021	महिला कर्मचारी, पारिवारिक कारण
16	श्री बी. चन्द्रशेखर राव	उप अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-2, मनेन्द्रगढ़	परियोजना मंडल, दुर्ग	11345 / 22.10.2021	पारिवारिक कारण
17	श्रीमती पूजा सिंह	उप अभियंता	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मुगली	परियोजना मंडल, बिलासपुर	10811 / 05.10.2021	पद रिक्त
18	श्री जे. अंशारी	उप अभियंता	परि. मंडल क्रमांक-2, अंबिकापुर	परि. क्रिया. इकाई, सूरजपुर	8444 / 21.07.2020	पद रिक्त
19	श्रीमती कर्म ज्योति साहू	उप अभियंता	परि. क्रिया. इकाई, रायपुर	छगयासाविअ, रायपुर	3920 / 24.03.2021	पद रिक्त
20	श्री लक्ष्मण देवांगन	उप अभियंता	परि. क्रिया. इकाई क्रमांक-2, राजनांदगांव	आर.सी.टी.आर.सी., रायपुर	8837 / 11.08.2021	पद रिक्त
21	श्री हेमंत कुमार बंजारे	उप अभियंता	परि. क्रियान्वयन, इकाई दत्तेवाड़ा	परि. क्रिया. इकाई, बलौदाबाजार	3727 / 28.04.2020	पद रिक्त
22	श्रीमती वीणा देवांगन	उप अभियंता	परि. क्रिया. इकाई-2, गुण्डरदेही	परि. मंडल, रायपुर	8889 / 11.08.2021	पद रिक्त
23	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	उप अभियंता	ग्रामीण विकास संभाग, कवर्धा	ग्रामीण विकास संभाग, बिलासपुर	12643 / 25.11.2021	पद रिक्त
24	श्रीमती वंदना एक्का	मानचित्रकार	परियोजना मंडल, रायपुर	परि. क्रिया. इकाई, जगदलपुर	11600 / 29.10.2021	पद रिक्त
25	श्रीमती रूखमणी रात्रे	सहायक वर्ग-2	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, धमतरी	आर.सी.टी.आर.सी., रायपुर	9285 / 23.08.2021	महिला कर्मचारी, पारिवारिक कारण
26	श्री प्रदीप कुमार सिंह ठाकुर	सहायक वर्ग-3	परियोजना क्रियान्वयन इकाई, कवर्धा	आर.आर.एन.एम.यू., दुर्ग	65 / 02.09.2021	पद रिक्त एवं शिकायत आधार पर

परिशिष्ट "तीन"

[प्रश्न संख्या 07 (क्र.-571) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]
प्रपत्र-"अ"

आई.ए.एस. अधिकारियों के विरुद्ध पंजीबद्ध प्रकरणों की जानकारी

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध कर्मांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
1.	श्री रघुनाथ प्रसाद (भाप्रसे), तत्कालीन अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं संभागायुक्त, रायपुर, संभाग वर्तमान-सेवानिवृत्त । श्री जी. वैकन्ना, (भाप्रसे), तत्कालीन अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं संभागायुक्त, रायपुर संभाग वर्तमान-सेवानिवृत्त ।	409, 420, 467, 468 120-बी, भा.द.वि., एवं 13 (1)डी(II)(III) 13(2) भ्र.नि.अ. 1988	17 / 1995 23.02.1995	पद का दुरुपयोग कर गृह निर्माण योजना में एम.आई.जी. / एच.आई.जी. / भवनों / भूखण्डों के आबंटन में नियम विरुद्ध कार्य कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।
2.	1. श्री आर.पी. यादव, (भाप्रसे), तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर, वर्तमान-फौत। 2. श्री अजय नाथ, (भाप्रसे), तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर, वर्तमान-म0प्र0। 3. श्री एन.पी. तिवारी, (भाप्रसे),	409, 420, 467, 468 120-बी, भा.द.वि., एवं 13 (1)डी(II)(III) 13(2) भ्र.नि.अ. 1988	18 / 1995 23.02.1995	पद का दुरुपयोग कर गृह निर्माण योजना में एम.आई.जी. / एच.आई.जी. / भवनों / भूखण्डों के आबंटन में नियम विरुद्ध कार्य कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध कर्मांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
	तत्कालीन कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त।				
3.	श्री एम0के0राजत, (भाप्रसे), सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग वर्तमान-सेवानिवृत्त।	120बी भा.द.वि. एवं 13(1)डी. II, III, 13(2) भ्र. नि. अ. 1988	05 / 2001 22.12.2001	आरोपियों द्वारा जी0आई0 पाईप डीजीएसएण्डडी से क्रय न कर अपने चांते फर्मों से सीधे सामग्री क्रय कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	खत्मा।
4.	श्री एच.पी. किन्डो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा भिलाई, मृत्यु दिनांक 18.04.2021।	13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	02 / 2002 03.01.2002	पद का दुरुपयोग कर अकाश व्यवसायिक परिसर भूखण्ड को नियम विरुद्ध अन्य को आबंटित करना।	विवेचना में लंबित।
5.	श्री एच.पी. किन्डो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा भिलाई, मृत्यु दिनांक 18.04.2021।	13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	03 / 2002 03.01.2002	पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध भूमि आबंटन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।
6.	श्री एच.पी. किन्डो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा भिलाई, मृत्यु दिनांक 18.04.2021।	13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	04 / 2002 03.01.2002	पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध भूमि आबंटन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।
7.	श्री एच.पी. किन्डो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा भिलाई, मृत्यु दिनांक 18.04.2021।	13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	05 / 2002 03.01.2002	पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध भूमि आबंटन कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
8.	श्री एच.पी. किन्डो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, साडा भिलाई, मृत्यु दिनांक 18.04.2021।	13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट1988	06/2002 03.01.2002	पद का दुरुपयोग कर नियम विरुद्ध बाजार दर का ध्यान नहीं रखा जाकर अन्य को अवैध आर्थिक लाभ पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।
9.	1. श्री राबर्ट हरंगडोला, (भाप्रसे), तत्कालीन प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, अनुसूचितजाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग, रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त। 2. श्री नारायण सिंह, (भाप्रसे), तत्कालीन सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त।	120-बी भा.द.वि. एवं 13(1) सी डी. 13(2) भ्र. नि.अ. 1988	01/2004 03.07.2004	आरोपियों द्वारा पद का दुरुपयोग कर आपरेशन ब्लेकबोर्ड योजना के अंतर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री/फर्नीचर के क्रय नियमों/प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना फर्नीचर निर्माताओं से साठगांठ कर उन्हें अनुचित लाभान्वित करना।	खात्मा
10.	श्री सुब्रत साहू (भाप्रसे), तत्का0 प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य विपणन संघ मर्यादित, रायपुर।	120-बी भा.द.वि. एवं 13 (1) सी डी 13 (2) भ्र.नि. अ. 1988	02/2010 13.01.2010	वर्ष 2002-03 में बारदानों का क्रय नियमपूर्वक न कर लोकधन का दुर्विनियोग करना।	खात्मा

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	असरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
11.	श्री टी.एस. छतवाल, (भाप्रसे), तत्कालीन प्रबंध संचालक, मार्कफेड छ0ग0, वर्तमान-सेवानिवृत्त। श्री आर.पी. बगई, (भाप्रसे), तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी, मार्कफेड रायपुर, वर्तमान-सेवानिवृत्त।	120-बी भा.द.वि. एवं 13 (1) सी डी 13 (2) भ्र.नि. अ. 1988	03/2010 13.01.2010	पद का दुरुपयोग कर बारदाना क्रय में प्रदायकों को अनुचित लाभ पहुंचाने तथा शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाना।	विवेचना में लंबित।
12.	श्री बाबूलाल अग्रवाल (भाप्रसे), तत्का0 सचिव, कृषि विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय-रायपुर, वर्तमान-अनिवार्य सेवानिवृत्त।	13 (1)ई 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 सहपठित धारा 3 बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम 1988	06/2010 19.02.2010	पद का दुरुपयोग कर असमानुपातिक संपत्ति अर्जित करना।	विवेचना में लंबित।
13.	श्री बी.एल.अग्रवाल (भाप्रसे), तत्का. सचिव, कृषि विभाग, मंत्रालय, वर्तमान-अनिवार्य सेवानिवृत्त।	भा.द.सं. की धारा 120-B, R/W 419, 420, 467, 468, 471, एवं 477(A) तथा भ. नि.अ. की धारा 13(2) R/W 13(1)(D)	1. प्र.सू.प्र.क्र. RC 1242010A0009 31.12.2010 2. प्र.सू.प्र.क्र. 1(E)/2010/EOU-VII 04.01.2010 3. प्र.सू.प्र.क्र. 2172017A0004 18.02.2017	आपराधिक योजना, धोखाधड़ी, असत्य दस्तावेजों को सही बताकर लेखों का गलत प्रयोग एवं पद का दुरुपयोग करना।	सी.बी.आई. नई दिल्ली में विवेचना में लंबित।

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
14.	श्री बी.एल.अग्रवाल (भाप्रसे), वर्तमान-अनिवार्य सेवानिवृत्त।	भ्र.नि.अ. की धारा 13(1)(ई), 13(2) एक्ट 1988	ECIR/01/NGR/2 011	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा Prevention of Money Laundering Act 2002 के तहत कार्यवाही।	प्रवर्तन निदेशालय में जांच लंबित है।
15.	1. श्री एच0पी0 किण्डो, (भाप्रसे), तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, भिलाई, मृत्यु दिनांक 18. 04.2021। 2. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, (भाप्रसे), तत्कालीन आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई।	120-बी भा.द.वि. एवं 13(1) डी(II), (III) 13 (2) भ्र. नि.अ. 1988	27 / 2012 25.07.2012	प्रियदर्शनी परिसर पश्चिम भिलाई के भूखण्ड में निविदा एवं पट्टा इकरारनामा के शर्तों में नियम विरुद्ध कार्य करने के संबंध में।	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित।
16.	श्री व्ही0के0 धुर्वे, (भाप्रसे), तत्कालीन प्रोटोकाल अधिकारी/अपर कलेक्टर, अम्बिकापुर, सरगुजा, वर्तमान-सेवानिवृत्त।	409, 420, 467, 468, 471 120-बी भा.द.वि. एवं 13(1)सी डी, 13 (2)भ्र.नि.अ. 1988	33 / 2012 06.09.2012	प्रोटोकाल अधिकारी द्वारा वाहनों का किराया, निर्धारित दर से अधिक दर पर भुगतान तथा शासन को क्षति पहुंचाई गई है।	विवेचना में लंबित।
17.	डॉ. आलोक शुक्ला, (भाप्रसे), तत्कालीन चयरमेन, नागरिक आपूर्ति निगम, वर्तमान-अनिवार्य सेवानिवृत्त।	धारा-109, 120 बी, 409, 420 भा.द.वि. तथा धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी एवं धारा 11 भ्र.नि.अ.	09 / 2015 12.02.2015	आरोपियों द्वारा कस्टम मिलिंग के चावल जमा कराने की आड़ में राईस मिलर्स से अवैध रूप से करोड़ों रुपये की वसूली एकम को अफरा तफरी करना।	चालान पेश

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध कमांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
18.	अनिल टुटेजा, (भाप्रसे), तत्कालीन प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम	1988 धारा-109, 120 बी, 409, 420 भा.द.वि. तथा धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1) डी एवं धारा 11 भ्र.नि.अ. 1988	09/2015 12.02.2015	आरोपियों द्वारा कस्टम मिलिंग के चावल जमा कराने की आड़ में राईस मिलर्स से अवैध रूप से करोड़ों रुपये की वसूली रकम को अफरा तफरी करना।	चालान पेश
19.	रणवीर शर्मा(भाप्रसे), अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भानुप्रतापपुर जिला-कांकेर	धारा-7, 13(1)डी, 13(2) पी.सी.एक्ट 1988	48/2015 05.08.2015	रिश्वत की मांग किये जाने पर ट्रेप कार्यवाही।	खारिजी
20.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद एवं अन्य	धारा-120बी, भादवि एवं 7 (सी), 13(1)(ए) भ्र.नि.अ. 1988 यथासंशोधित भ्र. नि.अ. 2018	09/2019 10.04.2019	छ.ग. संवाद के कार्यों में गंभीर अनियमितता कर शासन को अतिरिक्त व्यय प्रभार की आर्थिक क्षति पहुंचाना।	अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर चालानी कार्यवाही किया जाना शेष है।
21.	श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, (भाप्रसे), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. संवाद एवं अन्य	धारा-120बी, भादवि एवं 7 (सी), 13(1)(ए) भ्र.नि.अ. 1988 यथासंशोधित भ्र. नि.अ. 2018	10/2019 10.04.2019	विडियो फिल्म प्रोडक्शन (लघुफिल्म का निर्माण) निविदा कमांक 340 एवं 1864 की जांच पर मेसर्स मूव्हींग पिक्सल प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया।	अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित।

क्र.	अधिकारी का नाम	धाराएं	अपराध क्रमांक एवं पंजीयन दिनांक	आरोप का कारण	की गई कार्यवाही
1	2	3	4	5	6
22.	श्री जनक प्रसाद पाठक, (भाप्रसे) तत्का. कलेक्टर, जांजगीर-चांपा।	भा.द.सं. की धारा 376, 506, 509(ख)	256 / 2020 03.06.2020	पद का दुरुपयोग करने के संबंध में।	श्री जनक प्रसाद पाठक (भाप्रसे), तत्कालीन कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के विरुद्ध जिला जांजगीर-चांपा के थाना जांजगीर में भारतीय दण्ड संहिता की उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 256/2020, दिनांक 03.06.2020 को दर्ज की गई थी। श्री पाठक ने मान. केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में निलंबन के विरुद्ध याचिका ओ.ए. नं. 689/2020 दायर की थी। माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.02.2021 के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा श्री जनक प्रसाद पाठक को आदेश दिनांक 23.02.2021 द्वारा निलंबन से बहाल किया गया है।

परिशिष्ट "चार"

[प्रश्न संख्या 09 (क्रमांक-656) की जानकारी]

आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत बच्चों की संख्या जिनकी मृत्यु प्रतिवेदित हुई है .
(कैलेण्डर वर्ष अनुसार)

क	जिला	1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020 तक	1 जनवरी 2021 से 23 नवंबर 2021 तक
1	बालोद	181	158
2	बलरामपुर	216	149
3	बस्तर	421	395
4	बेमेतरा	73	57
5	बीजापुर	94	85
6	बिलासपुर	452	280
7	जीपीएम	153	132
8	धमतरी	197	156
9	दुर्ग	287	187
10	जांजगीर	356	242
11	जशपुर	30	91
12	कांकेर	288	102
13	कवर्धा	397	228
14	कोंडागांव	79	334
15	महासमुंद	373	404
16	मुंगेली	166	192
17	रायगढ़	655	492
18	रायपुर	290	261
19	राजनांदगांव	804	618
20	सूरजपुर	89	198
21	कोरबा	145	115
22	बलौदाबाजार	379	274
23	गरियाबंद	108	70
24	कोरिया	334	297
25	सुकमा	308	186
26	दंतेवाड़ा	286	372
27	नारायणपुर	36	56
28	सरगुजा	278	229
	योग	7475	6360

परिशिष्ट "पांच"

[प्रश्न संख्या 10 (क्रमांक-694) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]
प्रपत्र-"अ"

प्राथमिक सहकारी समितियों को उपभोक्ता सामग्री वितरण पर नागरिक आपूर्ति
निगम द्वारा देय कमीशन की दर

(राशि रुपये में)

क्र.	योजना	कमीशन की दर प्रति क्विंटल
1	चावल प्राथमिकता NFSA	70
2	चावल प्राथमिकता CGFSA	30
3	चावल अंतयोदय NFSA	70
4	चावल अंतयोदय CGFSA	30
5	चावल निशक्तजन CGFSA	30
6	चावल-एपीएल	30
7	चना	100
8	चावल GOI	70
9	चावल State	30
10	शक्कर	5.23
11	गेहूँ - पूरक पोषक आहार	70
12	गेहूँ महतारी जतन (PPA)	70
13	रिफाईड आयोडाइज्ड नमक	10
14	चावल मध्यान्न भोजन कार्यक्रम	70
15	चावल पूरक पोषण आहार	70
16	चावल मध्यान्न भोजन कार्यक्रम अपर	70
17	गेहूँ-किशोरी बालिकाओं सबला योजना	30
18	गुड़	100

प्रपत्र-“ब”

धान खरीदी करने वाली समितियों की संख्या, कुल कमीशन, कटौती एवं भुगतान, दिनांक की जिलेवार जानकारी

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20							
(राशि लाख में)							
क्रमांक	जिले का नाम	कुल समितियों की संख्या	धान खरीदी करने वाली समितियों की संख्या	कुल समिति कमीशन	समायोजित राशि (वसूली एवं टी.डी.एस. कटौती)	भुगतान समिति कमीशन	भुगतान दिनांक
1	बस्तर	37	37	375.34	43.45	331.89	6/Nov/20
2	बीजापुर	32	14	181.54	61.41	120.13	6/Nov/20
3	दन्तेवाड़ा	21	11	32.98	2.57	30.41	13/Oct/20
4	कांकेर	35	35	889.32	249.81	639.51	1/Dec/20
5	कोंडागांव	24	24	365.98	38.77	327.21	10/Nov/21
6	नारायणपुर	5	5	47.47	3.64	43.83	5/Nov/20
7	सुकमा	24	12	98.68	52.06	46.62	4/Dec/20
8	बिलासपुर	82	93	1520.34	432.28	1088.06	17/Nov/20
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	11	0	0.00	0.00	0.00	
10	जांजगीर चाम्पा	121	120	2458.67	730.92	1727.75	12/Nov/20
11	कोरबा	27	27	308.98	61.00	247.98	20/Aug/20
12	मुंगेली	43	43	1009.89	841.79	168.10	17/Nov/20
13	रायगढ़	79	79	1507.96	669.84	838.12	15/Dec/20
14	बालोद	69	69	1584.85	410.92	1173.93	1/Dec/20
15	बेमेतरा	54	54	1641.62	878.19	763.43	9/Dec/20
16	दुर्ग	59	59	1136.75	214.45	922.30	5/Nov/20
17	कवर्धा	60	60	1060.79	526.70	534.09	15/Dec/20
18	राजनांदगांव	89	89	2127.92	990.23	1137.69	17/Nov/20
19	बलौदाबाजार	86	86	2005.50	1597.12	408.38	11/Dec/20
20	धमतरी	53	53	1320.25	132.18	1188.07	8/Oct/20
21	गरियाबंद	38	38	930.87	778.47	152.40	11/Dec/20
22	महासमुंद	81	81	2243.70	1090.82	1152.88	11/Dec/20
23	रायपुर	82	82	1548.84	260.06	1288.78	17/Nov/20
24	बलरामपुर	28	28	392.44	178.34	214.10	14/Dec/20
25	जशपुर	17	17	251.18	29.33	221.85	7/Nov/20
26	कोरिया	23	19	287.95	18.48	269.47	9/Nov/20
27	सरगुजा	27	27	439.60	45.82	393.78	9/Nov/20
28	सुरजपुर	26	26	512.29	101.02	411.27	7/Dec/20
योग		1333	1288	26281.70	10439.67	15842.03	

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21							
(राशि लाख में)							
क्रमांक	जिले का नाम	कुल समितियों की संख्या	धान खरीदी करने वाली समितियों की संख्या	कुल समिति कमीशन	समायोजित राशि (वसूली एवं टी.डी.एस. कटौती)	भुगतान समिति कमीशन	भुगतान दिनांक
1	बस्तर	52	51	446.25	51.86	394.39	29/Nov/21
2	बीजापुर	32	14	186.38	108.22	78.16	29/Nov/21
3	दन्तेवाड़ा	21	11	50.97	10.02	40.95	26/Oct/21
4	कांकेर	70	70	921.58	835.02	86.56	29/Nov/21
5	कोंडागांव	47	47	453.66	181.56	272.10	2/Dec/21
6	नारायणपुर	9	9	61.28	48.46	12.81	2/Dec/21
7	सुकमा	27	13	119.76	74.15	45.61	15/Nov/21
8	बिलासपुर	114	114	1389.06	1268.33	120.73	2/Dec/21
9	गौरेला पेन्ड्रा मरवाही	13	13	214.32	131.12	83.21	2/Dec/21
10	जांजगीर चाम्पा	196	196	2481.29	1204.30	1276.99	1/Dec/21
11	कोरबा	41	41	422.89	91.67	331.22	25/Oct/21
12	मुंगेली	66	66	1093.05	1093.04	0.01	29/Nov/21
13	रायगढ़	110	110	1667.22	437.21	1230.01	29/Nov/21
14	बालोद	122	122	1618.24	1411.31	206.93	25/Nov/21
15	बेमेतरा	102	102	1785.65	1622.29	163.35	29/Nov/21
16	दुर्ग	87	87	1267.71	724.98	542.73	15/Nov/21
17	कवर्धा	90	90	1167.95	968.34	199.61	4/Dec/21
18	राजनांदगांव	132	132	2331.46	2331.46	0.00	4/Dec/21
19	बलौदाबाजार	153	153	2054.82	1861.87	192.95	4/Dec/21
20	धमतरी	74	74	1335.37	974.76	360.61	29/Nov/21
21	गरियाबंद	67	67	995.39	995.39	0.00	2/Dec/21
22	महासमुंद	130	128	2273.66	1678.85	594.81	4/Dec/21
23	रायपुर	126	126	1553.40	1179.14	374.26	29/Nov/21
24	बलरामपुर	37	37	492.63	223.16	269.47	25/Nov/21
25	जशपुर	24	23	365.37	54.92	310.45	9/Nov/21
26	कोरिया	30	27	360.97	206.76	154.22	4/Dec/21
27	सरगुजा	39	39	576.53	217.67	358.86	15/Nov/21
28	सुरजपुर	47	47	648.37	286.31	362.06	4/Dec/21
योग:-		2058	2009	28335.22	20272.16	8063.06	

दिसम्बर, 2021 सत्र में प्रश्नों के उत्तर में प्राप्त संशोधन/वक्तव्य
तथा प्रश्नोत्तर सूची से संबंधित शुद्धि पत्रों की सूची

क्रमांक	दिनांक	प्रश्न संख्या (क्रमांक)	विभाग का नाम	संशोधन/वक्तव्य
1	13.12.21	ता. 10(क्र-48)	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	संशोधन
2	दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र			
3	14.12.21	ता. 7(क्र-325)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
4	14.12.21	ता. 15(क्र-356)	वाणिज्यिक कर (आबकारी)	संशोधन
5	14.12.21	ता. 16(क्र-421)	उच्च शिक्षा	संशोधन
6	14.12.21	अता. 57(क्र-419)	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	संशोधन
7	दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र			
8	15.12.21	ता. 01(क्र-217)	गृह	संशोधन
9	15.12.21	ता. 05(क्र-555)	खाद्य	संशोधन
10	15.12.21	ता. 06(क्र-130)	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	संशोधन
11	दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र			
12	16.12.21	ता. 8(क्र-684)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
13	16.12.21	ता.14 (क्र-652)	महिला एवं बाल विकास	संशोधन
14	दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 से संबंधित शुद्धि पत्र			
15	17.12.21	ता. 6(क्र-726)	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास	संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,


दिनांक 13.12.2021 को प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक04..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या ..10..... (क्रमांक 48) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में संलग्न परिशिष्ट "चार" के राज्यांश के कॉलम

वर्ष	राज्यांश (राशि रु. लाख में)	
	प्राप्त राशि	शेष राशि
2019-20	6485.02	5317.07
2020-21	32634.15	10519.93
2021-22	44311.91	28227.64

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

वर्ष	राज्यांश (राशि रु. लाख में)	
	प्राप्त राशि	शेष राशि
2019-20	2427.31	1259.36
2020-21	28394.73	6280.51
2021-22	41181.47	25097.20


(गुरु रुद्र कुमार)
मंत्री,
छत्तीसगढ़ शासन,
लोक स्वा.यां.एवं ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, अटल नगर, रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

सोमवार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 2 (क्र. 110) उत्तर (ग)	दिनांक 04-11-2021	दिनांक 04-01-2021
ता.प्र.सं. 5 (क्र. 90) प्रश्न (क),(ख)एवं (ग)	फलाईएश	फलाईऐश
ता.प्र.सं. 6 (क्र. 60) प्रश्न (क)	1,जनवरी, 2019 में 15-11-2021	1 जनवरी, 2019 से 15-11-2021
ता.प्र.सं. 25 (क्र. 293) प्रश्न (ख)	क्या आरोप अवधि में	क्या उपरोक्त अवधि में

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 19 (क्र. 178)	के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी	के भाग (क) की जानकारी
--------------------------	-------------------------------	-----------------------

दिनांक 13 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-7(क्र. 236) का पुनरीक्षित उत्तर तथा परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या-33 (क्र.-571) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 12 दिसम्बर, 2021


चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 14 दिसम्बर 2021 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 03 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 07 (क्रमांक - 325) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर (ख) के प्रपत्र-"ब" में वर्ष 2021-22 (31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में) कॉलम क्रमांक 3 कुल विधानसभा क्षेत्र "70" के स्थान पर "77" पढ़ा जाये।


(टी.एस. सिंहदेव)

मंत्री

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 14/12/2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक5..... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 356) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) में अंकित जिला-जांजगीर-चांपा की देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में कर्मियों के नियोजन हेतु सुमीत फेसिलटीज प्रा.लि. तथा सुरक्षा गार्ड नियोजन एस.आई.एस. इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। दुकानवार कार्यरत कर्मियों एवं गार्ड की संख्या प्रपत्र -अ" पर संलग्न है। ये सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावें :-

(ख) जिला-जांजगीर-चांपा की देशी व विदेशी मदिरा दुकानों में कर्मियों के नियोजन हेतु ईगल हंटर सॉल्यूशन्स प्रा.लि. तथा सुरक्षा गार्ड नियोजन एस.आई.एस. इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया है। दुकानवार कार्यरत कर्मियों एवं गार्ड की संख्या प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है। ये सभी कर्मचारी छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी है।



हस्ताक्षर एवं पदनाम

(मान. मंत्री)

(क्यासी लखमा)

मंत्री

वाणिज्यिक कर (आषफारी)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 14.12.2021 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक 05 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 421) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग (ख) के संलग्न परिशिष्ट (अ) में उल्लेखित दोनो महाविद्यालयों में प्राचार्य का 1-1 पद स्वीकृत एवं रिक्त पड़ा जावे।



(उमेश पटेल)

उमेश पटेल

मंत्री


उच्च शिक्षा, कौशल विकास तकनीकी
शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी,
खेल एवं युवा कल्याण विभाग, इलाहाबाद शासन

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 14 दिसम्बर 2021 को प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक-38 में मुद्रित अतारंकित प्रश्न संख्या-57 (क्रमांक - 419) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ:-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर (ख) में "जिला पंचायत बीजापुर के समस्त ग्राम पंचायतों में प्रश्नांश "क" अनुसार, राशि स्थानांतरित करने के बाद ग्राम पंचायतों को बैंक से राशि आहरित करने की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है व दिनांक 20.04.2021 से व ग्राम पंचायतों के खातों में रोक (होल्ड) लगाया गया चूंकि जिला बीजापुर के अधिकांश ग्राम पंचायत अति संवेदनशील क्षेत्रों होने के कारण कार्यों का गुणवत्तायुक्त व नियमानुसार होने संबंधी भौतिक सत्यापन व मूल्यांकन पश्चात राशि आहरण की अनुमति प्रदान की जा रही है।" के स्थान पर "जानकारी निरंक है।" पढ़ा जाये।


(टी.एस. सिंहदेव)

मंत्री

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालयशुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे

:-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
---------------------------	--------	-------

अतारांकित प्रश्नोत्तर के संबंधित परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न संख्या-33(क्र.-359) से संबंधित परिशिष्ट " तिरसठ " के प्रपत्र "अ" में अंकित तालिका के शीर्षक पर "वित्तीय वर्ष 2019-20" प्रतिस्थापित कर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 13 दिसम्बर, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन पढ़ने का प्रारूप


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक दिनांक 15.12.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक...५१...में मुद्रित तारांकित संख्या...५१....(क्रमांक-...३१७...) में, मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ख" में सहारा इंडिया पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है, जिस कारण निवेशकों के द्वारा जमा राशि एवं भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। जो मामले संज्ञान में आए हैं/आ रहे हैं, उन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

"सहारा इंडिया कंपनी के वित्तीय व्यवसाय एवं प्रबंधन पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है, जिस कारण निवेशकों के द्वारा जमा राशि एवं भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। जो मामले संज्ञान में आए हैं/आ रहे हैं, उन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है।"


(ताम्रध्वज साहू)
मंत्री, गृह

प्रश्नों में संशोधन

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15.12.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 2 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 5 (*क्रमांक 555) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के प्रश्नांश भाग (ख) की जानकारी में, परिशिष्ट-“तीन” के सरल क्रमांक-03 “भारत सरकार को पत्र प्रेषित करने का उल्लेखित प्रविष्टि 21.08.2021” एवं “प्रविष्टि 27.12.2021”

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

प्रश्नांश भाग “ख” के परिशिष्ट “तीन” में सरल क्रमांक - 03 कॉलम 03 में भारत सरकार को पत्र प्रेषित करने का उल्लेखित प्रविष्टि “02.08.2021” पढ़ी जाए, एवं प्रविष्टि “27.12.2021” विलोपित किया जावे”

शेष मुद्रित जानकारी यथावत् पढ़ी जावे।

हस्ताक्षर एवं पदनाम

(अनुराजित भास्कर)
(मा. मंत्री)

छ. ग. भास्कर,


सहायक न्यायिक अधिकारी, सार्वभौमिकता प्रश्नकार्य
योजना आयोग, संसदीय एवं
- संसदीय विभाग.

प्रश्नों के उत्तर में संशोधन पढ़ने का प्रारूप

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या-6 (क.-130) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर से संबंधित परिशिष्ट "चार" के स्थान पर संलग्न " पुनरीक्षित परिशिष्ट अ " पढ़ा जावे ।


(ताम्रध्वज साहू)

मंत्री,

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

पुनरीक्षित परिशिष्ट "अ"

तारांकित प्रश्न क्रमांक 130

श्री महाप्रभु प्रागट्य बैठक जी ट्रस्ट चम्पारण पंजीयन क्रमांक 158 के वर्तमान राजस्व अभिलेख के अनुसार अचल संपत्ति में ख.नं. 526, 1111, 1145, 1157, 1765, 2116, 2160, 2376 2562, 2827, 2836, 2902, रकबा क्रमशः 0.51, 2.16, 0.25, 1.82, 0.17, 0.94, 1.06, 2.16, 2.46, 3.66, 0.87, 0.13 कुल खसरा नंबर 12 कुल रकबा 16.64 हे. भूमि दर्ज है।

श्री महाप्रभु महाराज सर्वराकार बृजजीवन लाल के नाम से अचल संपत्ति ख.नं. 1166, 1169, 1176/1, 1197, 1210, 1420, 1804, रकबा क्रमशः 0.25, 0.45, 2.12, 0.59, 0.16, 0.05, 0.04, हे. कुल खसरा नंबर 07 कुल रकबा 3.66 हे. भूमि दर्ज है।

श्री महाप्रभु जी प्रागट्य बैठक जी ट्रस्ट की भूमि में से विक्रय किया गया भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1. नामांतरण क्रमांक 62 नायब तहसीलदार नवापारा के आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.नं. 34 रा.नि.म. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि ख.नं. 84 का भाग रकबा 2.80 हे. भूमि को गिरजा बाई पति मंशाराम जाति तेली निवासी राखी के पास बिक्री किया गया है।
2. नामांतरण क्रमांक 69 आदेश दिनांक 03.04.2008 के अनुसार ग्राम पंचायत प.ह.न. 34 रा.नि.म. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि 84 का भाग रकबा 0.26 हे. भूमि को कामिन पति फूलसिंह के पास बिक्री किया गया है।
3. नामांतरण क्रमांक 63 आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न. 34 रा.नि.म. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि 84 का भाग रकबा 2.40 हे. भूमि को बिसाहू पिता रामनाथ जाति तेली निवासी राखी के पास बिक्री किया गया है।
4. नामांतरण क्रमांक 68 आदेश दिनांक 03.04.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न. 34 रा.नि.म. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1518 का भाग रकबा 0.06 हे.भूमि को तिहारू पिता बिसहत के पास बिक्री किया गया है।
5. नामांतरण क्रमांक 70 आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 84 का भाग रकबा 0.54 हे. भूमि को नीरा बाई पति भगवानी जाति तेली के पास बिक्री किया गया है।
6. नामांतरण क्रमांक 64 आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 84 का भाग रकबा 1.72 हे. भूमि को बिसेलाल पिता ररूहा के पास बिक्री किया गया है।
7. नामांतरण क्रमांक 66 आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 396 का भाग रकबा 0.87 हे. भूमि को भूनेषर पिता बिसहत के पास बिक्री किया गया है।
8. नामांतरण क्रमांक 67 आदेश दिनांक 09.05.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 396 का भाग रकबा 0.83 हे. भूमि को तिहारू पिता बिसहत के पास बिक्री किया गया है।

9. नामातरण क्रमांक 71 आदेश दिनांक 19.06.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न. 34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 84 का भाग रकबा 4.00 हे. भूमि को वीरेन्द्र कुमार पिता भूखन लाल के पास बिक्री किया गया है।
10. नामातरण क्रमांक 110 आदेश दिनांक 23.06.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 396 का भाग रकबा 0.65 हे. भूमि को विनोद कुमार पिता गरीबा राम के पास बिक्री किया गया है।
11. नामातरण क्रमांक 118 आदेश दिनांक 11.07.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 1518 का भाग रकबा 0.39 हे. भूमि को मुल्कराज पिता जगन्नाथ जाति ब्राम्हण निवासी पचपेड़ी नाका रायपुर के पास बिक्री किया गया है।

चल संपत्ति की जानकारी -


श्रृंगार आभूषण/पूजा सामग्री थाली इत्यादि, गाय, साहित्य वस्तु, कला एवं पेंटिंग्स संग्राहलय, जनरेटर, फ्रीज, वाशिंग मशीन, ग्रीन्डिंग मशीन, कुलर, कुलर मशीन, मशीनरी ए.सी., सुमो मोटर कार, कम्प्यूटर, फर्नीचर एवं अन्य सामग्री, एयर कंडीशन मशीन ए.सी., इनवर्टर एवं बैटरी, डीजल भट्टी, फैंक्स मशीन, वाटर पम्प, लेजर प्रिन्टर ऑटो रिक्शा, ई.पी.बी.ए.एक्स. मशीन, एम्बुलेंस (ओमनी एम.पी.आई.), लाइब्रेरी किताब, मोटर सायकल (हीरो होण्डा), फोटोकॉपी मशीन, पंखा, टाटा डी.आई. (टेम्पो), मारुति ईको कार, सेंटरिम मटेरियल, सी.सी.टी.वी. कैमरा, टेलीविजन, मारुति इरटिगा, एयर कम्प्रेसर मशीन, कुल मूल्य 3,36,84,017/-रु.

श्री महाप्रभु बृजजीवन लाल की दोनों खातों की भूमि में से :-

1. नामातरण क्रमांक 61 नायब तहसीलदार नवापारा के आदेश दिनांक 29.03.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 69 का भाग रकबा 0.10 हे. भूमि को माखन लाल तारक पिता बंशीलाल जाति ढीमर को बिक्री किया।
 2. नामातरण क्रमांक 72 आदेश दिनांक 03.04.2008 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न. 34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 2575 का भाग रकबा 0.26 हे. भूमि को अंजुबेन पति अशोक कुमार के पास बिक्री किया।
 3. नामातरण क्रमांक 24 आदेश दिनांक 29.05.2009 के अनुसार ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि खसरा नंबर 738/2 का भाग रकबा 2.40 हे. भूमि को अबरीश कुमार पिता कुमनदास अडिया के पास विक्रय किया।
- न्यायालय नायब तहसील नवापारा के राजस्व मामला क्रमांक 45 अ/6 वर्ष 2010-11 आदेश दिनांक 11.04.2011 के अनुसार** ग्राम चम्पारण प.ह.न.34 रा.नि.मं. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि ख.न. 1186 रकबा 1.34 हे. भूमि को शिक्षा विभाग (छ.ग.शासन) चांपाझर के नाम दर्ज करने के आदेश होने से शिक्षा विभाग चांपाझर के नाम दर्ज करने के आदेश होने से शिक्षा विभाग चांपाझर के नाम पर दर्ज है।

वर्ष 2012-13 में अंबरीश कुमार कुमन दास अड़िया द्वारा ट्रस्ट से कय की गई भूमि ग्राम चम्पारण प.ह.न. 34 रा.नि.म. नवापारा तहसील गोबरा नवापारा स्थित भूमि ख.न. 738/2, 738/3 कुल रकबा 2.40 हे. भूमि को बिक्री करने से केता रसाल द्विवेदी पिता बी.एन.द्विवेदी के नाम पर वर्तमान ख.न. में दर्ज है।

4. श्री महाप्रभु बृजजीवन लाल जी की चल सम्पत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।


(अनुबलगन पी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय

शुद्धि-पत्र

बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
---------------------------	--------	-------

तारांकित प्रश्नोत्तर

ता.प्र.सं. 13 (क्र. 482) उत्तर (क)/1. /जल आवर्धन योजना	24.45 लाख (डिपोजिट वर्क गृह विभाग)	25.45 लाख (डिपोजिट वर्क गृह विभाग)
---	---------------------------------------	---------------------------------------

नियम 46(2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर

परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 731) प्रश्न	श्री विद्यारतन भसीन	श्री विद्यारतन भसीन (श्री धरमलाल कौशिक)
--------------------------------------	---------------------	--

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

ता.प्र.सं. 11 (क्र. 51) परिशिष्ट "पांच" /पृ.क्र. A-17	[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 151) के भाग (ख) की जानकारी]	[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 51) के भाग (ख) की जानकारी]
--	---	--

प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक A-28 में मुद्रित तालिका को पृष्ठ क्रमांक A-27 में प्रतिस्थापित कर तारांकित प्रश्न संख्या-12 (क्र.516) की जानकारी के रूप में पढ़ा जावे।

प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक A-27 में मुद्रित तालिका को पृष्ठ क्रमांक A-28 में प्रतिस्थापित कर तारांकित प्रश्न संख्या-13 (क्र. 482) की जानकारी के रूप में पढ़ा जावे।

प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक A- 29 में मुद्रित तालिका के निरंतरता में क्रमशः पृष्ठ क्रमांक A- 30, A- 31 तथा A-32 में मुद्रित तालिका पढ़ी जावे।

नियम 46(2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक A-116 में मुद्रित जानकारी को विलोपित मानी जावे।

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक A-192 में मुद्रित तालिका (शीर्षक छोड़कर) को पृष्ठ क्रमांक A-191 में प्रतिस्थापित कर पढ़ी जावे। तथा पृष्ठ क्रमांक A-191 में मुद्रित जानकारी को पृष्ठ क्रमांक A-192 में प्रतिस्थापित कर अतारांकित प्रश्न संख्या-46 (क्र-543) की जानकारी के रूप में पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर

दिनांक : 14 दिसम्बर, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधानसभा

प्रश्नों में संशोधन


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.12.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक...3.....में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या.....8..... (क्रमांक...684...) में निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ :-

(ख) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 07.10.2004 व 13.12.2006 एवं भारत शासन द्वारा जारी पत्र दिनांक 09.05.2012 द्वारा।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

(ख) जी जां। माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका क्रमांक 196/2001 में पारित आदेश दिनांक 07.10.2004, व 13.12.2006 एवं भारत शासन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 13-12008-सी.डी.1 (पार्ट-3) दिनांक 09.05.2012 द्वारा जारी निर्देश।


(श्रीमती अनिता भंडिया)
मंत्री
हस्ताक्षर एवं प्रशासनिक
तथा सम्पन्न कल्याण विभाग
(मा. मंत्रा) शासन

प्रश्नों में संशोधन


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 16.12.2021 की प्रश्नोत्तर सूची के पृष्ठ क्रमांक 05... में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 14 (*क्रमांक.6.5.2) में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहती हूँ:-

प्रश्नांश (ख) नीति आयोग द्वारा वर्ष 2021 में प्रकाशित पुस्तिका (**Index & Dashboard 2020-21**) के अनुसार छत्तीसगढ़ में उम्र के अनुसार वजन (**Percentage of children under five years who are underweight**) के आधार पर वर्ष 2019 में कुपोषण का स्तर 40 प्रतिशत था तथा वर्ष 2020 में भी कुपोषण का स्तर 40 प्रतिशत दर्ज किया गया है। कुपोषण के स्तर में परिवर्तन प्रतिवेदित नहीं है।

के स्थान पर कृपया निम्नानुसार संशोधित उत्तर पढ़ा जावे:-

प्रश्नांश (ख) सतत विकास लक्ष्य अन्तर्गत कुपोषण का स्तर 40 प्रतिशत दर्शाया गया है। वस्तुतः यह सीएनएनएस का आंकड़ा है जो 2018 में प्रकाशित हुआ था। अभी नवम्बर 2021 में एनएफएचएस-5 के आंकड़े प्रकाशित हुआ है जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 31.3 प्रतिशत दर्शायी गई है। सीएनएनएस एवं एनएफएचएस-5 की तुलना में कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी आई है।


 (श्रीयती अनिला भंडिया)
 मंत्री
 महिला एवं बाल विकास
 तथा समाज कल्याण विभाग
 छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय**शुद्धि-पत्र**

गुरुवार, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे :-

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	अशुद्ध	शुद्ध
तारांकित प्रश्नोत्तर		
ता.प्र.सं. 02 (क्र. 539) प्रश्न (क)	वर्ष 2018-19 से नवम्बर, 2021 तक	वर्ष 2021 से नवम्बर, 2021 तक
ता.प्र.सं. 18 (क्र. 602) उत्तर (ख) एवं (ग)	परियोजना अधिकारी, पंखाजूर	परियोजना अधिकारी, पखांजूर
नियम 46(2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर		
परि.अता.प्र.सं. 05 (क्र. 96) उत्तर (ग)	जानकारीसंलग्न प्रपत्र - "अ" में दर्शित है	जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" में दर्शित है

दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित अतारांकित प्रश्न संख्या-41 (क्र.-656) का पृथक वितरित उत्तर पढ़ा जावे।

स्थान : विधानसभा भवन,
रायपुर
दिनांक : 15 दिसम्बर, 2021

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधानसभा


माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज दिनांक 17/12/2021 की प्रश्नोत्तरी सूची के पृष्ठ क्रमांक 2-3 में मुद्रित तारांकित प्रश्न संख्या 06 क्रमांक 726 में मैं निम्नानुसार संशोधन करना चाहता हूँ :-

प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित उत्तर के भाग "ग" में दिनांक 19/08/2021

के स्थान पर कृपया दिनांक 11/08/2021 संशोधित उत्तर पढ़ा जावे :-

शेष यथावत रहेगा ।



(जयसिंह अग्रवाल)

मंत्री

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, पुनर्वास विभाग

